



Neutral Citation No. - 2026:AHC:58320

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. की धारा 482 के अंतर्गत आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन संख्या -
2427/2026

अजीज खानआवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यप्रत्यर्थी

आवेदक के अधिवक्ता: रवि सोनकर, संतोष सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला,

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 29/2022, धारा 376, 377, 354, 498-ए, 323, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना- महिला थाना, जनपद बांदा में विचारण के लंबित रहने के दौरान अग्रिम जमानत पर मुक्त करण की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है। उन्होंने तर्क दिया कि आवेदक सूचनाकर्ता का पति है। विवेचना के दौरान, पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से स्वीकार भी कर लिया गया था। इसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि एक विरोध याचिका दायर की गई है जिस पर आगे की विवेचना के आदेश दिए गए हैं और पुलिस अब आवेदक को गिरफ्तार करना चाहती है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है।
- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि आवेदक, पीड़िता का पति होने के नाते, वर्तमान मामले में मुख्य अभियुक्त है और आवेदक के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी किए गए हैं क्योंकि वह विवेचना में सहयोग नहीं कर रहा है।
- मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय ने आशा दुबे बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन 5633 के पैराग्राफ 8 में इस प्रकार नोट किया और राय दी है:

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



"अग्रिम जमानत के विचार पर आते हुए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 के तहत घोषणा की स्थिति में, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में अग्रिम जमानत देने के आवेदन पर विचार करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।"

7. वर्तमान मामले में, एक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और सूचनाकर्ता के उपस्थित न होने पर मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकार भी कर ली गई थी। इसलिए, न्यायालय की राय में एनबीडब्ल्यू जारी होना आवेदक को उसकी अग्रिम जमानत की प्रार्थना पर विचार करने से वंचित नहीं करता है।
8. प्रथम दृष्टया, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री, स्वतंत्र गवाहों के बयान और विवेचना के दौरान दर्ज किए गए पीड़िता के बयान के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि पति और पत्नी के बीच कोई वैवाहिक विवाद था। धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पीड़िता के दूसरे बयान में, ऐसा प्रतीत होता है कि पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि उसने अपने देवर के विरुद्ध छेड़छाड़ और बलात्कार के जो आरोप लगाए थे, वे कुछ व्यक्तियों के उकसाने पर लगाए गए थे। यह भी प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच कोई समझौता हुआ था। अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी थी। मामला वर्ष 2022 से संबंधित है और आगे की विवेचना में आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है।
9. उपरोक्त सभी तथ्यों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, और विवाद एक वैवाहिक विवाद प्रतीत होता है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत देना उचित समझता हूँ।
10. उपरोक्त के आलोक में, आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
11. आवेदक- अजीज खान की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे तत्काल उपरोक्त मुकदमा अपराध में एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान पश्‍चि की दो प्रतिभूतियां संबंधित थाना प्रभारी/न्यायालय के संतोष के अधीन प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा: -
 - i. आवेदक आवश्यकता पड़ने पर पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;
 - ii. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;
 - iii. आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा;
 - iv. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं;
12. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, संबंधित न्यायालय जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर दी गई टिप्पणियां विशेष रूप से वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन का निर्णय करने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुणों पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

(राजीव लोचन शुक्ला, न्यायमूर्ति)

20 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



ए. पांडे

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"